

देवीलाल पंड रमेवर
हुकम या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज
पत्र 138/2019

नम्बर व तारीख
अहकाम जो इस
हुकम की तामील
में जारी हुए

08/12/2021

परावली प्रशासन गांवों के संग अभियान 2021 के तहत गांव सतपुडा पर अघोजित चिट्ठी में निस्तारण हेतु लक्ष्य गर्दी हमने परावली वा अक्लीक किराना प्राचीनिक के ग्राम सतपुडा की अराजी संख्या 354, 355, 366, 398, 399, 401, 402, 430 कीटा 8 रकबा 3.7400 हे भूमि की पत्थरादी काने हेतु अवेदक किराना है। परावली में संलग्न नकल जमाकदी संख्या 2067-2070 अनुसार उक्त आराजीय प्राचीनिक के नाम खेतवारी एक से जरेकडी है। अतः प्राचीनिक वा जर्नल वा अन्वेषण धारा 128 के अंतर्गत खेतवारी किराना जाकर ग्राम सतपुडा स्थित आराजी संख्या 354, 355, 366, 398, 399, 401, 402, 430 कीटा 8 कुल रकबा 3.7400 हे भूमि की बिना किराने के कहे में दरवालाजी किर सेलमेर नमूने अनुसार पत्थरादी किर जाने के आदेश रिह जाते है। कमिश्नर शुल्क 15000=00 रुबर अक्षर एक हजार पांच सौ रुबर प्राचीनिक वहन करेगें। पालनार्थ तहसीलदार चित्तौडगर को लिख्य जावे कि पक्षकारान को लिखित धुजना देकर निम्नानुसार पत्थरादी की जावे एवं पालन रिपोर्ट न्यायालय में प्रस्तुत करे। परावली के लाल शुमार होकर नम्बर से कम है।

2019
08/20/19

(श्याम सुन्दर बिस्नोई)
सहायक कलेक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी
चित्तौडगढ़ (राज.)

